

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा / ग्रुप-2 / 2018 / आर-801

जयपुर, दिनांक : 20.11.2018

आदेश

मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा अपील संख्या 3162/2018 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 16.09.2018 की पालना में मा. अधिकरण के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन डा. राजकुमार सोनी, प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उनके पूर्व पदस्थापन बीसीएमओ, सांभर, जयपुर के पद पर कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान करते हुए डा. सुनील कुमार, चिकित्सा अधिकारी को बीसीएमओ, सांभर, जयपुर के पद से बीसीएमओ, मसूदा, अजमेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

५१.११.१८

(पारस चन्द जैन)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा अपील संख्या 3162/2018 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 16.09.2018 के शीघ्र वैकेट कराये जाने की कार्यवाही करावें।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन अजमेर/जयपुर
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय/अजमेर
5. संबंधित अधिकारी
6. कम्प्यूटर सेल
7. निजी /रक्षित पत्रावली

३

(ओ. पी. वर्मा)

शासन सहायक सचिव